

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 991 सन 2021

अनवान :-

1. चुकी पत्नी शंकर जाति जाट साकिन थिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. गंगा पत्नी मेधाराम जाति जाट साकिन थिराना तहसील नोहर।
2. मूली पत्नी भानीराम जाति जाट साकिन थिराना तहसील नोहर।
3. गिरदावरी पत्नी मेहरचन्द जाति जाट साकिन थिराना तहसील नोहर।
4. धोलुराम पुत्र शंकर जाति जाट साकिन थिराना तहसील नोहर।
5. राजेन्द्र पुत्र शंकर जाति जाट साकिन थिराना तहसील नोहर।
6. विमला पुत्री शंकर जाति जाट साकिन थिराना तहसील नोहर।
7. सोहनलाल पुत्र मेधाराम जाति जाट साकिन थिराना तहसील नोहर।
8. दलीप पुत्र मेधाराम जाति जाट साकिन थिराना तहसील नोहर।
9. काशीराम पुत्र मेधाराम जाति जाट साकिन थिराना तहसील नोहर।
10. रतनीदेवी पुत्री मेधाराम जाति जाट साकिन थिराना तहसील नोहर।
11. रामकुमार पुत्र मेहरचन्द जाति जाट साकिन थिराना तहसील नोहर।
12. कालुराम पुत्र मेहरचन्द जाति जाट साकिन थिराना तहसील नोहर।
13. सरस्वती पुत्री मेहरचन्द जाति जाट साकिन थिराना तहसील नोहर।
14. सुमन पुत्री मेहरचन्द जाति जाट साकिन थिराना तहसील नोहर।
15. कलावती पुत्री मेहरचन्द जाति जाट साकिन थिराना तहसील नोहर।
16. इन्द्राज पुत्र भानीराम जाति जाट साकिन थिराना तहसील नोहर।
17. हिरालाल पुत्र भानीराम जाति जाट साकिन थिराना तहसील नोहर।
18. मनीराम पुत्र भानीराम जाति जाट साकिन थिराना तहसील नोहर।
19. दाखी पुत्री हरलाल जाति जाट साकिन थिराना तहसील नोहर।
20. परमा पुत्री हरलाल जाति जाट साकिन थिराना तहसील नोहर।
21. शारदा पुत्री निरमा पुत्री हरलाल जाति जाट साकिन थिराना तहसील नोहर।
22. कालुराम पुत्र निरमा पुत्री हरलाल जाति जाट साकिन थिराना तहसील नोहर।
23. इन्द्रो पुत्री निरमा पुत्री हरलाल जाति जाट साकिन थिराना तहसील नोहर।
24. अशोक पुत्र निरमा पुत्री हरलाल जाति जाट साकिन थिराना तहसील नोहर।
25. जगदीश पुत्र ईमरती जाति जाट साकिन थिराना तहसील नोहर।
26. मोतीलाल पुत्र ईमरती जाति जाट साकिन थिराना तहसील नोहर।
27. चेताराम पुत्र ईमरती जाति जाट साकिन थिराना तहसील नोहर।
28. हसराम पुत्र ईमरती जाति जाट साकिन थिराना तहसील नोहर।
29. मागुसिंह पुत्र ईमरती जाति जाट साकिन थिराना तहसील नोहर।
30. गुडडी पुत्री ईमरती जाति जाट साकिन थिराना तहसील नोहर।
31. भंवरलाल पुत्र किस्तुरी पुत्री हरलाल जाति जाट साकिन थिराना तहसील नोहर।
32. दलीप पुत्र किस्तुरी पुत्री हरलाल जाति जाट साकिन थिराना तहसील नोहर।
33. मन्शाराम पुत्र किस्तुरी पुत्री हरलाल जाति जाट साकिन थिराना तहसील नोहर।
34. सोहनलाल पुत्र किस्तुरी पुत्री हरलाल जाति जाट साकिन थिराना तहसील नोहर।
35. सन्तोष पुत्री किस्तुरी पुत्री हरलाल जाति जाट साकिन थिराना तहसील नोहर।
36. जमना पुत्री किस्तुरी पुत्री हरलाल जाति जाट साकिन थिराना तहसील नोहर।
37. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88


उपस्थित : श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 28/10/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा थिराना के खाता संख्या 417/371 की कुल 16.0480 हैक् में से 7907/16048 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में हरलाल पुत्र बालाराम नाम से दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में हरलाल पुत्र बालाराम के नाम से दर्ज है जो वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 36 के पूर्वज है जिनका देहान्त हो चुका है जिनके जायज वारिस उनके पुत्र /पुत्रीया है हरलाल पुत्र बालाराम की पुत्र/पुत्रीयो में से मेधाराम , भानीराम, मेहरचन्द, शंकरलाल ईमरती, किस्तुरी सभी का देहान्त हो चुका है जिनके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 36 है जो हरलाल पुत्र बालाराम के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है।


उपखण्ड अधिकारी

नोहर

प्रतिवादी संख्या 4 ता 36 वादीया की पुत्री एवं पुत्री के वारिसान एवं हरलाल पुत्र बालाराम के वारिसान है प्रतिवादी संख्या 4 ता 36 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का बराबर का हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की हरलाल पुत्र बालाराम वादीया के पूर्वज है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 36 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 36 ने निवेदन किया की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में हरलाल पुत्र बालाराम के नाम से दर्ज है जो वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 36 के पूर्वज है जिनका देहान्त हो चुका है जिनके जायज वारिस उनके पुत्र /पुत्रीया है हरलाल पुत्र बालाराम की पुत्र/पुत्रीयो में से मेधाराम , भानीराम, मेहरचन्द, शंकरलाल ईमरती, किस्तुरी सभी का देहान्त हो चुका है जिनके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 36 है जो हरलाल पुत्र बालाराम के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है एवं प्रतिवादी संख्या 4 ता 36 ने निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/माता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं परोकार राज ने निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं मजमें आम की सहमति/जानकारी के आधार पर वाद का निस्तारण फरमावे।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल/आपसी सहमति मजमे आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रही।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान - वर्ष -2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में उभयपक्षों की सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 36 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल/सहमति पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है तथा अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद न्यायायिक दृष्टान्तों एवं आपसी सहमति /मजमे आम की सहमति /जानकारी के आधार पर वाद वादी डिक्री फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षों को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा थिराना के खाता संख्या 417/371 की कुल 16.0480 हैक् में से 7907/16048 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में हरलाल पुत्र बालाराम नाम से दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में हरलाल पुत्र बालाराम के नाम से दर्ज है जो वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 36 के पूर्वज है जिनका देहान्त हो चुका है जिनके जायज वारिस उनके पुत्र /पुत्रीया है हरलाल पुत्र बालाराम की पुत्र/पुत्रीयो में से मेधाराम , भानीराम, मेहरचन्द, शंकरलाल ईमरती, किस्तुरी सभी का देहान्त हो चुका है जिनके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 36 है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 36 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है।


वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 4 ता 36 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 4 ता 36 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते हैं के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 4 ता 36 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।


अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 36 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं परोकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं

न्यायाधिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा थिराना के खाता संख्या 417/371 की कुल 16.0480 हैक् में से 7907/16048 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में हरलाल पुत्र बालाराम नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 चारो बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 28.10.2021 को प्रशासन गांव कें संग अभियान वर्ष - 2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नाहर (हनुमानगढ़)

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष- 2021
कैम्प कोर्ट... नीमला



सत्यमेव जयते

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनदान :-

1. चुकी पत्नी शंकर जाति जाट साकिन थिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. गंगा पत्नी मेधाराम जाति जाट साकिन थिराना तहसील नोहर।
2. मूली पत्नी भानीराम जाति जाट साकिन थिराना तहसील नोहर।
3. गिरदावरी पत्नी मेहरचन्द जाति जाट साकिन थिराना तहसील नोहर।
4. धोलुराम पुत्र शंकर जाति जाट साकिन थिराना तहसील नोहर।
5. राजेन्द्र पुत्र शंकर जाति जाट साकिन थिराना तहसील नोहर।
6. विमला पुत्री शंकर जाति जाट साकिन थिराना तहसील नोहर।
7. सोहनलाल पुत्र मेधाराम जाति जाट साकिन थिराना तहसील नोहर।
8. दलीप पुत्र मेधाराम जाति जाट साकिन थिराना तहसील नोहर।
9. काशीराम पुत्र मेधाराम जाति जाट साकिन थिराना तहसील नोहर।
10. रतनीदेवी पुत्री मेधाराम जाति जाट साकिन थिराना तहसील नोहर।
11. रामकुमार पुत्र मेहरचन्द जाति जाट साकिन थिराना तहसील नोहर।
12. कालुराम पुत्र मेहरचन्द जाति जाट साकिन थिराना तहसील नोहर।
13. सरस्वती पुत्री मेहरचन्द जाति जाट साकिन थिराना तहसील नोहर।
14. सुमन पुत्री मेहरचन्द जाति जाट साकिन थिराना तहसील नोहर।
15. कलावती पुत्री मेहरचन्द जाति जाट साकिन थिराना तहसील नोहर।
16. इन्द्राज पुत्र भानीराम जाति जाट साकिन थिराना तहसील नोहर।
17. हिरालाल पुत्र भानीराम जाति जाट साकिन थिराना तहसील नोहर।
18. मनीराम पुत्र भानीराम जाति जाट साकिन थिराना तहसील नोहर।
19. दाखी पुत्री हरलाल जाति जाट साकिन थिराना तहसील नोहर।
20. परमा पुत्री हरलाल जाति जाट साकिन थिराना तहसील नोहर।
21. शारदा पुत्री निरमा पुत्री हरलाल जाति जाट साकिन थिराना तहसील नोहर।
22. कालुराम पुत्र निरमा पुत्री हरलाल जाति जाट साकिन थिराना तहसील नोहर।
23. इन्द्रो पुत्री निरमा पुत्री हरलाल जाति जाट साकिन थिराना तहसील नोहर।
24. अशोक पुत्र निरमा पुत्री हरलाल जाति जाट साकिन थिराना तहसील नोहर।
25. जगदीश पुत्र ईमरती जाति जाट साकिन थिराना तहसील नोहर।
26. मोतीलाल पुत्र ईमरती जाति जाट साकिन थिराना तहसील नोहर।
27. चेताराम पुत्र ईमरती जाति जाट साकिन थिराना तहसील नोहर।
28. हसराज पुत्र ईमरती जाति जाट साकिन थिराना तहसील नोहर।
29. मागुसिंह पुत्र ईमरती जाति जाट साकिन थिराना तहसील नोहर।
30. गुडडी पुत्री ईमरती जाति जाट साकिन थिराना तहसील नोहर।
31. भंवरलाल पुत्र किस्तुरी पुत्री हरलाल जाति जाट साकिन थिराना तहसील नोहर।
32. दलीप पुत्र किस्तुरी पुत्री हरलाल जाति जाट साकिन थिराना तहसील नोहर।
33. मन्शाराम पुत्र किस्तुरी पुत्री हरलाल जाति जाट साकिन थिराना तहसील नोहर।
34. सोहनलाल पुत्र किस्तुरी पुत्री हरलाल जाति जाट साकिन थिराना तहसील नोहर।
35. सन्तोष पुत्री किस्तुरी पुत्री हरलाल जाति जाट साकिन थिराना तहसील नोहर।
36. जमना पुत्री किस्तुरी पुत्री हरलाल जाति जाट साकिन थिराना तहसील नोहर।
37. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 991 सन 2021 निर्णय दिनांक- 28.10.2021

आज यह वाद प्रशासन गांव क संग अभियान वर्ष - 2021 कैम्प कोर्ट में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा थिराना के खाता संख्या 417/371 की कुल 16.0480 हैक्ट में से 7907/16048 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में हरलाल पुत्र बालाराम नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 चारो बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलगन 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 28.10.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

नोहर (हनुमानगढ)

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष- 2021

कैम्प कोर्ट....नीमला